कम्प्यूटर परिपत्र सं० 2122056

परिपत्र सं0 / जी0एस0टी0 ऑडिट / 2021–22 / कम्प्यू0परि0सं0 / 477 / वाणिज्य कर।

कार्यालयः–कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 ऑडिट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 31 मार्च, 2022

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट)
समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर /
वाणिज्य कर अधिकारी (टैक्स ऑडिट)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित जी0एस0टी0 ऑडिट माड्यूल को लागू किये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 एवं उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जी0एस0टी0 ऑडिट में तैनात समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि दिनांक 01.04.2022 से जी0एस0टी0 ऑडिट संबंधित समस्त कार्य एवं प्रविष्टि जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित एवं क्रियाशील जी0एस0टी0 ऑडिट माड्यूल पर ही निष्पादित की जाएगी। जी0एस0टी0एन0 जी0एस0टी0 ऑडिट मॉडयूल पर कार्य सम्पादित करने हेतु लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड पूर्व में ही सभी अधिकारियों को प्रदान किये गये है। प्रत्येक जोन में सब स्टेट एडमिन द्वारा जी0एस0टी0 ऑडिट अधिकारियों को रोल एलॉट किया जाना है। सब स्टेट एडमिन द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 30.03.2022 तक रोल एलॉट कर दिया जाय।

प्रदेश के जी0एस0टी0 ऑडिट अधिकारियों द्वारा दिनांक 31–03–2022 तक कार्यरत विभागीय मॉडयूल में वर्ष 2018–19 के लिये चयनित ऑडिट के मामलें जिनमें कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है वह विभागीय पोर्टल पर ही पूर्ववत निष्पादित किये जायेगें तथा ऐसे मामले जिनमें कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है, उनका निष्पादन boweb portal पर उपलब्ध जी0एस0टी0 ऑडिट मॉड्यूल पर दिनांक 01.04.2022 से किया जायेगा।

किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर जी0एस0टी0 ऑडिट / आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय की ई–मेल आई0डी0 क्रमशः ctgstaudithqlu-up@up.gov.in एवं ctithqlu-up@nic.in पर तत्काल सूचित करें। रोल एलॉटमेंट के सम्बन्ध में तकनीकी समस्या हेतु आई0टी0 अनुभाग की ई–मेल आई0डी0 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

31/3/2022

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– ज्वाइंट कमिश्नर आई0टी0, वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के क्रम में विभागीय पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करना सुनिश्चित करें।

(गीता सिंह)
एडीशनल कमिश्नर (विधि / जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर मुख्यालय।